अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या– 191(2020-21)(VIII)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/9/2020	वाद का प्रकार–बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा०, दिनांक–13.05.2016 सहपठित– श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा०म०निति–119/85/2308/रा०, दिनांक–03.09.1985 एंव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा०, दिनांक–09.12.1998 मे निहित निदेश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम मे हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा– रांगामाटीडीह थाना नं०– 185, खाता संख्या– 4 प्लॉट संख्या– 341, रकबा– 1.00 ए० एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– 1 के पृष्ठ संख्या– 108 पर जमाबंदी रैयत दुलाल रजवाड़ पिता उपेन्द्र रजवाड़ के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता हैं, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता हैं कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक– 19/9/2020 को उपस्थापित करें। 03/9/20 अंचल अधिकारी गोविन्दपुर	

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतू अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतू अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को भेजे।

19/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या– 191/20-21(VIII)/2020 (अन्तर्गत धारा–4(h)BLR Act,1950)

सूचना

बनाम– [illegible]
पिता– [illegible]
ग्राम– [illegible]

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा– [illegible] थाना नं०– 185, खाता नं०– 4 खेसरा नं०– 341 रकबा– 1.00 एक से संबंधित आपके नाम से ह० नं०– VIII के पंजी II भाग 1 के पृष्ठ 180 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक– 19/9/2020 को समय–11.00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–I भूमि बन्दोवरती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

03/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :–

स्थान :–